वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य

1059. **श्री राम नरेश यादव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए गत वर्ष के लिए निर्धारित राशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया था; और

(ग) उत्तर प्रदेश में चालू वर्ष के लिए निर्धारित की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के राज्यवार लक्ष्य विवरण I में दिए गए हैं (नीचे देखिए) ।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान इन कार्यकलापों के लिए धनराशि का राज्यवार आबंटन और उपयोग विवरण II में दिया गया है (नीचे देखिए) । इस विवरण से स्पष्ट होता है कि 9 राज्यों ने अभी तक उपयोग संबंधी आंकड़ों की सूचना नहीं भेजी है । तथापि सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर आशा है कि आबंटन का पूर्ण उपयोग किया जाएगा ।

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप राज्य प्लान स्कीमों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों जैसे कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्कीमों के माध्यम से चलाए जाते हैं : वर्ष 1993-94 के दौरान इन कार्यकलापों को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश को 9043.33 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गई है ।

विवरण I

वर्ष 1993—94 के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के राज्यवार लक्ष्य

(लाख पौध) (हैक्टेयर क्षेत्र)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	संशोधित लक्ष्य	
		पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1950.00	70000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	7500.00
3.	असम	30.00	27500.00
4.	बिहार	750.00	50000.00
5.	गोवा	30.00	1800.00
6.	गुजरात	1500.00	68000.00
7.	हरियाणा	300.00	37500.00
8.	हिमाचल प्रदेश	75.00	35000.00
9.	जम्मू और कश्मीर	60.00	20000.00
10.	कर्नाटक	450.00	42500.00
11.	केरल	300.00	15000.00
12.	मध्य प्रदेश	400.00	125000.00
13.	महाराष्ट्र	1200.00	180000.00
14.	मणिपुर	30.00	9500.00
15.	मेघालय	125.00	19000.00
16.	मिजोरम	10.00	14000.00
17.	नागालैंड	120.00	7500.00
18.	उड़ीसा	550.00	75000.00
19.	पंजाब	80.00	18000.00
20.	राजस्थान	400.00	35000.00
21.	सिक्किम	18.00	8500.00
22.	तमिलनाडु	1000.00	114000.00
23.	त्रिपुरा	50.00	17700.00
24.	उत्तर प्रदेश	3200.00	85000.00
25.	पश्चिम बंगाल	800.00	45000.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.00	3300.00
27.	चंडीगढ़	0.00	500.00
28.	दादर व नगर हवेली	12.00	1100.00
29.	दमन और दिव	1.00	150.00
30.	दिल्ली	60.00	2000.00
31.	लक्षद्वीप	4.00	50.00
32.	पांडिचेरी	4.00	200.00
	जोड़ :	13519.00	1165300.00

विवरण II

वर्ष 1992-93 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए निधि का राज्यवार आबंटन और उपयोग

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1992-93	
		आबंटन	उपयोग (अनंतिम)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2510.52	3671.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	434.55	429.23
3.	असम	1520.00	सू० न०
4.	बिहार	सू० न०	1864.70
5.	गोवा	156.95	117.73
6.	गुजरात	6713.93	6663.94

7.	हरियाणा	4576.57	3940.35
8.	हिमाचल प्रदेश	4746.00	4536.73
9.	जम्मू और कश्मीर	1795.95	सू० न०
10.	कर्नाटक	6167.87	4812.62
11.	केरल	1215.00	सू० न०
12.	मध्य प्रदेश	5512.96	5354.49
13.	महाराष्ट्र	7624.11	6321.10
14.	मणिपुर	573.65	सू० न०
15.	मेघालय	1164.07	सू० न०
16.	मिजोरम	870.00	सू० न०
17.	नागालैंड	122.38	सू० न०
18.	उड़ीसा	4208.00	3842.85
19.	पंजाब	1159.50	1903.22
20.	राजस्थान	9583.00*	9309.00
21.	सिक्किम	383.87	सू० न०
22.	तमिलनाडु	4640.70	5111.08
23.	त्रिपुरा	1158.04	सू० न०
24.	उत्तर प्रदेश	6790.16	9174.84
25.	पश्चिम बंगाल	सू० न०	3618.21
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	116.25	112.97
27.	चंडीगढ़	30.00	32.00
28.	दादर व नगर हवेली	97.20	137.97
29.	दमन और दिव	13.00	15.00
30.	दिल्ली	218.00	193.25
31.	लक्षद्वीप	16.00	16.00
32.	पांडिचेरी	91.33	55.50
	योग :	74262.56	70434.32

* संशोधित ।

सू० न०—सूचित नहीं किया गया है ।

वन क्षेत्रों के अतिक्रमणों का व्यवस्थापन

1060. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन क्षेत्रों के अतिक्रमणों के व्यवस्थापन से संबंधित सरकार के क्या आदेश हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वन क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमणों के व्यवस्थापन के मामले में कतिपय प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने के संबंध में मंत्रालय द्वारा 18-9-1990 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इन दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि पर 25-10-1980 से पहले किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि कतिपय मानदण्ड पूरे किए जा रहे हों ।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अवैध कब्जों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नियमित करने के लिए 2.73 लाख हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने के प्रस्ताव भेजे थे । प्रस्ताव की जांच करने के बाद मंत्रालय ने पात्र कब्जाधारियों के हक में अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए 1.03 लाख हैक्टेयर वन भूमि मंजूर की है ।

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना

1061. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने से संबंधित कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ग) क्या सरकार ने वन ग्रामों को नियमित करने के लिए राज्य प्रशासन को प्राधिकृत किया है जबकि वन संरक्षण अधिनियमों को लागू होने से पूर्व ही वन ग्रामों की स्थापना हो चुकी थी और इस अधिनियम के लागू करने से पूर्व ही इनका गैर वानिकी उपयोग आरंभ हो चुका था ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मंत्रालय द्वारा 18-9-1990 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अन्तर्गत अपेक्षित वन भूमि की अधिसूचना को रद्द करने के बाद वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदला जा सकता है ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 216 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए 10 प्रस्ताव भेजे हैं । सभी 10 प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से आवश्यक सूचना मांगी गई है, जो अभी नहीं मिली है ।

(ग) जी नहीं । वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए वन भूमि को औपचारिक रूप से अन्तरित/अनारक्षित करने से पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी अपेक्षित है ।

Clearance to the Pooyamkutty Hyde! Power Project in Kerala

1062. SHRI N. E. BALARAM : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had denied clearance to the Pooyamkutty Hydel Power Project in Kerala: